दावा अन्तर्गत धारा 53, 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

डिक्री

दिनांक :– 27/01/26

वादीगण की ओर से श्री हनुमानभादू अधिवक्ता, प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 की ओर से श्री सुनिल साहू अधिवक्ता व राजपैरोकार इस वाद मे आज दिनांक को उमा मित्तल आर. ए.एस. उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होनें पर आदेश किया जाकर डिक्री की जाती है कि, उभय पक्ष के मध्य हुए राजीनामा एवं सहमती के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53, 88 के अन्तर्गत वाद मे वर्णित कृषि भूमि का निम्नानुसार घोषणा की जाकर खाता विभाजन किया जाता है:–

1. चक 8 जेड डब्ल्यूडी के खाता सं. 29/31 के प. न. 102/373 (27) के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 व प०न०102/374(34) के किला न0 2 ता 19, 22/2, 23/2, 24 /2, 25/2 इस प्रकार दोनों पत्थरो की कुल 11. 1820 हैक्ट. कमाण्ड, अनकमाण्ड व गै. मु. रास्ता कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में से प0न0 102/373 (27) के किला न. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6 ता 25 की 6.325 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड गैर मुम. खाला व प०न० 102/374

3

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested

(34) के किला न0 2, 3, 4, 5 की 1.012 हैक्टयर कमाण्ड अनकमाण्ड इस प्रकार दोनो पत्थरों की कुल 7.337 हैक्टेयर कमाण्ड अनकमाण्ड गैर मुम. खाला कृषि भूमि में से **वादी सख्या 1 ता 6 का 6.288 है.** कमाण्ड अनकमाण्ड गैर मुम. खाला कृषि भूमि का **ब. हिस्सा बराबर व वादी सख्या 7 ता 11 का 1.049 है.** कमाण्ड अनकमाण्ड गैर मुम. खाला कृषि भूमि **ब. हिस्सा बराबर है का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।**

2. प्रतिवादी सख्या 1 बिरमा देवी तहसील पीलीबंगा के चक 8 जेड डब्ल्यूडी के खाता सं. 29/31 के प0न0 102 / 374 (34) के किला न. 23/2, 24/2, 25/2 की कुल 0.607 हैक्टेयर कमाण्ड कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

3 यह कि प्रतिवादी सख्या 6 व 7 मुखराम पुत्र चेतराम और लिछमण पुत्र चेतराम (अविवाहित फौत) की कृषि तहसील पीलीबंगा के चक चक 8 जेड. डब्ल्यू.डी के खाता सं. 29/31 के 102/374 (34) के किला न. 6 ता 9, 12 ता 19, 22/2 की कुल 3.238 हैक्टयेर कमाण्ड कृषि भूमि ब. हिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

खाता में से बृजलाल पुत्र ख्यालीराम, मुखराम पुत्र ख्यालीराम, लाधुराम पुत्र ख्यालीराम, लिखमाराम पुत्र ख्यालीराम के नाम कलमजन किये जाने के आदेश पारित किये जाते है।

उक्त वर्णित भूमि घग्घर, वन विभाग, जोहड पायतन, आराजीराज न होनें तथा अन्य किसी भी न्यायालय का कोई स्थगन आदि न होने, धारा 16 आर.टी.ए. की अवहेलना नही होने की दशा मे स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड मे अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म ;यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन/गैर खातेदार पूर्वानुसार ही रहेगी जिमसें किसी प्रकार का कोई बदलाव नही किया जावेगा।

खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 27/01/2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(उमा मित्तल आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी एवम
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा

Signature Not Verified

Digitally signed by Uma Mittal
Date: 2026.03.24 16:21:16 IST
Reason: SelfAttested